



दिनांक: 01.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त **बालेन्द्र पुत्र दयालाराम उर्फ दल्लाराम नि0 ग्राम खेडी मान सिंह थाना इन्द्री जनपद करनाल हरियाणा** संबंधित वाद सं0 942/20 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट मु0अ0सं0 308/17 चालानी थाना नकुड़ निर्गत मा0न्यायालय सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बालेन्द्र पुत्र दयालाराम उर्फ दल्लाराम नि0 ग्राम खेडी मान सिंह थाना इन्द्री जनपद करनाल हरियाणा

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री विश्वेश्वर दयाल शर्मा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।
3. का0 2555 राहुल थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी/नकबजनी/लूट आदि की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त **इरशाद पुत्र अनवर निवासी रसूलपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर** को एसजेड ट्रेडर्स के सामने से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक नाजायज चाकू बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 02/2025 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इरशाद पुत्र अनवर निवासी रसूलपुर थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0 391/21 धारा 380/411 भादवि थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 चाकू नाजायज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
3. का0 77 अरुण कुमार, थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
4. का0 2420 विष्णू कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 10.15 ग्राम

अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त **रागिब पुत्र रिजाय अहमद निवासी इकरा स्कूल के पीछे वाली गली गुलदस्ता कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को रेडियन्स एकेडमी के सामने से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 10.15 ग्राम स्मैक बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 01/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रागिब पुत्र रियाज अहमद निवासी गुलदस्ता कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 344/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 30/23 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना को0देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ स्मैक 10.15 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र सैन सैनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री अजयपाल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 207 दिनेश कुमार, थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
4. का0 152 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व संदिग्धों की चैकिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह जनपद सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2025 को चैकिंग के दौरान अभियुक्त बिलाल पुत्र दिलशाद नि0ग्राम बुढ़नपुर थाना गंगोह स0पुर हाल पता मौ0 मौहम्मद गौरी कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर को लखनौती रोड बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0सं0- 01/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तथा रस्मैक का नशा करता हूँ तथा यह तमंचा लोगो में अपना रौब गालिब करने के लिए अपने पास रखता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बिलाल पुत्र दिलशाद नि0 ग्राम बुढ़नपुर थाना गंगोह, स0पुर हालपता मौ0 मौहम्मद गौरी थाना गंगोह, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0कां0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है0का0 258 अजीत मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 326 रिकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक: 01.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13 पेटी टैट्रापैक देशी शराब महबूबा मार्का/अंगूरी मार्का (कुल 599 टैट्रापैक) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब/नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त सोनू पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम मनानी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर को ग्राम मनानी में रविदास मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 05 पेटी अवैध देशी शराब महबूबा मार्का, 08 पेटी शराब अंगूरी मार्का व 01 पेटी में खुले रखे 14 पच्चे महबूबा मार्का (कुल 599 पच्चे) बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 - 001/2025 धारा 60 आबकारी अधि0 के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त सोनू उपरोक्त का पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

पूछताछ का विवरण-अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं ठेके से देशी शराब लाकर घर में रख लेता हूँ और ठेके बन्द हो जाने के बाद आपने आस पास के नशा करने वाले लोगो को थोडा महंगे दामो मे बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छी कमाई हो जाती है।

अभियुक्त का नाम व पता –

सोनू पुत्र सेवाराम निवासी ग्राम मनानी थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 05 पेटी अवैध देशी शराब महबूबा मार्का
- 08 पेटी शराब अंगूरी मार्का
- 01 पेटी में खुले रखे 14 पच्चे महबूबा मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाषचन्द्र थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. हे0का0 888 मनीष तोमर थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
4. हो0गार्ड 1508 नीरज कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर



दिनांक: 01.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व नशा तस्करों की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.01.25 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त फहीम पुत्र आजाद नि0जयमल कालोनी, 62 फुटा रोड थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को रेलवे अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त फहीम उपरोक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 001/2025 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त फहीम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं सस्ते दामों में शराब खरीद लेता हूँ तथा आस पास व राह चलते लोगो एवं ठेका बन्द होने के बाद अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

फहीम पुत्र आजाद नि0जयमल कालोनी, 62 फुटा रोड थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर उम्र 24 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

➤ 10 बोतल देशी शराब हरियाणा मार्का।

अभियुक्त फहीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 167/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 146/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जिला सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 215/15 धारा 379/411 भादवि थाना को0 मण्डी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 453 प्रवीण कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 01.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

170 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व मादक पदार्थों की तस्करी एवं इसके कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2025 को चैकिंग के दौरान फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त शाकिर पुत्र महताब निवासी ग्राम सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड को ग्राम गंगाली की तरफ आम के बाग के किनारे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 170 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 02/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैं पांचवी क्लास तक पढ़ा हूँ मजदूरी का कार्य करता हूँ तथा नशे का आदी हूँ। पैसों के लालच में चरस उत्तराखण्ड से सस्ते दामों खरीदकर आस-पास के क्षेत्र में अधिक दामों में बेच देता हूँ जिससे काफी लाभ कमा लेता हूँ

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शाकिर पुत्र महताब निवासी ग्राम सिकन्दरपुर भैंसवाल थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरण

➤ 170 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. म0उ0नि0 माधुरी शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. है0का0 738 विनोद मंडार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. का0 1551 अमित तोमर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर



दिनांक- 01.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 बोतल

अवैध देशी शराब माल्टा (हरियाणा मार्का) बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व मादक पदार्थों की तस्करी व इसके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर शराब तस्कर/अभियुक्त इमरान पुत्र अख्तर निवासी मौ० खानका थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को बिजलीघर, ग्राम गन्देवडा से चौकी चमारीखेडा की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 12 बोतल अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का माल्टा बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 01/25 धारा 63 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं गैर प्रान्त से शराब सस्ते दामों पर खरीद कर अपने आस-पास के क्षेत्र में अधिक दामों पर बेच देता हूँ जिससे मुझे काफी मुनाफा हो जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

इमरान पुत्र अख्तर निवासी मौ० खानका थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 12 बोतल अवैध देशी शराब (हरियाणा मार्का माल्टा)

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 17/23 धारा 380/411 भादवि थाना गागलहेड़ी जिला सहारनपुर
2. मु०अ०सं० 453/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री सोनू राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. म०उ०नि० सुमन थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. है०का० 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है०का० 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर



दिनांक: 01.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारन पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से

1685 ग्राम गांजा बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों एवं इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2025 को रामपुर मनिहारन पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान अभियुक्त **फैजान उर्फ फैजू पुत्र इदरिश निवासी ग्राम लण्डौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर** को टपरी मिनी बाईपास को पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 1685 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना रामपुर मनिहारन पर मु0अ0स0-02/25 धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं अवैध गांजा पडोसी जिले/राज्यो से सस्ते दामों में खरीदकर आस-पास के क्षेत्र में अधिक दामों में बेचकर काफी लाभ कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फैजान उर्फ फैजू पुत्र इदरिश निवासी ग्राम लण्डौरा गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

➤ 1685 ग्राम नाजायज गांजा।

आपराधिक इतिहास:-

मु0अ0सं0-008/2022 धारा-307/325/374/506 भादवि थाना रामपुर मनिहारनपुर सहारनपुर।

मु0अ0सं0-002/2024 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।
2. का0 341 दीपक भारद्वाज थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।
3. का0 1441 अजीत नैन थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर।



दिनांक: 01.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा सट्टा लगाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं जुआ/सट्टे में संलिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सट्टा लगाते हुए 01 अभियुक्त **शमशाद पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को निकट रेलवे स्टेशन मधुसूदन दूध फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से **सट्टा पर्चा व 560 रुपये नकद बरामद** हुए। अभियुक्त के विरुद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 01/2025 धारा 13 सार्वजनिक जुआँ अधिनियम, 1867 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

शमशाद पुत्र नसीर निवासी मौहल्ला शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अनुज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. है0कां0 267 प्रवेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. कां0 1047 सतीश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया
गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वादी की लिखित तहरीर बावत दिनांक 18.12.2024 को वादी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त निखिल द्वारा दुष्कर्म करने तथा अभियुक्तगण 1. निखिल पुत्र प्रमोद कुमार 2. शुभम पुत्र विनोद कुमार 3. अमरीश पुत्र मेवाराम निवासी गण ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच करना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 232/24 धारा 64/351(2)/352 बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु संबन्धित को आदेश निर्देश दिए इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2025 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्त **निखिल पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर ग्राम बडकला से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

निखिल पुत्र प्रमोद कुमार निवासी ग्राम बडकला थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. का0 2404 अमित कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. का0 2176 श्यामपाल थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 01.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया

गिरफ्तार, कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त बाबर पुत्र कलीम निवासी नूर बस्ती बडी मस्जिद के पास थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को शकलापुरी रोड पर मदरसे के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 01/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया मैं कम पढा लिखा हूँ तथा नशे का आदी हूँ तथा मजदूरी का कार्य करता हूँ पैसे के लालच में हरियाणा राज्य से सस्ते दामों में चरस खरीदकर आस-पास के क्षेत्र में ट्रक ड्राइवर एवं चरस पीने वाले व्यक्तियों को अधिक दामों में बेचकर काफी लाभ कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

बाबर पुत्र कलीम निवासी नूर बस्ती बडी मस्जिद के पास थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 120 ग्राम चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
3. है0का0 02 कमल कौशिक थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
4. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर
5. का0 1460 अंकित पंवार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर